

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का पहुँना की जमाबंदी संवत् 2076-77 के खाता संख्या 119 में दर्ज आराजीयात संख्या 2563 में वर्तमान दर्ज अंकन भेरूलाल पुत्र सुरज्या हिस्सा 5/14 एवं लादूलाल पुत्र दीपचन्द्र हिस्सा 1/7 के बजाय लादूलाल पिता दीपचन्द्र माली सा० पहुँना हिस्सा 2/7 व भैरूलाल पिता सुरज्या कीर सा पहुँना हिस्सा 3/14 के नाम किये जाने के आदेश दिया जाता है।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे लिखाया जाकार सुनाया जाकर लिखया गया।

(गोविन्द सिंह)

सहायक कलक्टर

(सुपखण्ड अधिकारी)